

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत-
		Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
		(हजार रुपए में)		
		(In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-			
पूरक	Supplementary	4,00,00	4,00,00	4,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	9493,59,00	9862,65,00	9797,00,18
पूरक	Supplementary	369,06,00		-65,64,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,23,03
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-		10,41,00	3,38,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-7,02,06
				84,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व हिस्से के प्रभारित भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नानुसार हुई:-

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred as under: -

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जहाँ संपूर्ण व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(II) Under one head excess of ₹400.00 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, समग्र बचत (₹6564.82 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹36906.00 लाख के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6564.82 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of

कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से भी कम है।

₹36906.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हुए:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving- Savings
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	2587.00		
iw-	S.	1000.00	2621.97	2407.87
पु.	R.	-965.03		-214.10
मुख्य शीर्ष “2415”	Major Head “2415”			
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education			
मू.	O.	894193.00		
पू.	S.	35447.00	982620.00	977292.31
पु.	R.	52980.00		-5327.69
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	52579.00		
पू.	S.	459.00	..	..
पु.	R.	-53038.00		..

(I) ₹53038.00 लाख का प्रावधान (₹459.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹52355.80 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹53038.00 lakhs (including supplementary grant of ₹459.00 lakhs) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹52355.80 lakhs accounted for under Major Head “2552” under the following heads:-

- (का) “कृषि कर्म – आईसीएआर को सहायता” –
- (क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹6449.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2500.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹4142.00 लाख;
- (घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3111.00 लाख;
- (खा) “मृदा एवं जल संरक्षण – आईसीएआर को सहायता – अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं” – ₹4376.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (गा) “पशुपालन – आईसीएआर को सहायता – पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थानों और योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹2977.20 लाख (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और
- (घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य अनुदान सहायता” – ₹28800.00 लाख (₹458.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।
- (A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.” -
- (a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹6449.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);
- (b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - ₹2500.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);
- (c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - ₹4142.00 lakhs;
- (d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - ₹3111.00 lakhs;
- (B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” - ₹4376.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);
- (C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹2977.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and
- (D) “General (Agricultural Research & Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal” - ₹28800.00 lakhs (including supplementary grant of ₹458.00 lakhs).

पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित करने के कारण उपरोक्त सात

Provisions under above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern

शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:-

(का) “सचिवालय – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग” – ₹818.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹710.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1528.00 लाख तक बढ़ाया गया था। तथापि, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता नेतृत्व शिखर सम्मेलन के स्थगित होने और प्रिय सहयोगी पत्र (डीसीएल) को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ₹837.60 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(खा) “संबद्ध कार्यालय – कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड” – ₹1769.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹290.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2059.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, नए परिसर में स्थानांतरण न होने के कारण घरेलू यात्रा और पेशेवर सेवाओं के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹341.53 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2415” – “फसल कृषिकर्म” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों में बचत हुई:-

(का) “आईसीएआर को सहायता” –

(क) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं” – ₹2740.69 लाख की बचत (₹20079.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) “राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना ईएपी” – ₹3766.00 लाख की बचत (₹9226.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “3451” remained wholly unutilized under the following heads:-

(A) “Secretariat - Department of Agricultural Research and Education” - the original provision of ₹818.00 lakhs was augmented to ₹1528.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹710.00 lakhs. However, there was a saving of ₹837.60 lakhs (including supplementary grant) - due to postponement of Quadrilateral Security Dialogue Leadership Summit and delay in finalization of Dear Colleague Letter (DCL).

(B) “Attached Offices - Agricultural Scientists Recruitment Board” - the original provision of ₹1769.00 lakhs was augmented to ₹2059.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹290.00 lakhs. However, there was a saving of ₹341.53 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims towards domestic travel and professional services owing to non-shifting to new premises.

(III) Under Major Head “2415” - “Crop Husbandry” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes” - saving of ₹2740.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20079.00 lakhs);

(b) “National Agricultural Higher Education Project EAP” - saving of ₹3766.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9226.00 lakhs); and

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹557.00 लाख की बचत (₹4870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक उपयोग (₹28493.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि संसद को पहले ही सूचित किया जा चुका है, जबकि मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹15140.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया:—

(का) “फसल कृषिकर्म – आईसीएआर को सहायता” –

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएँ” – ₹14001.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹12110.57 लाख था।

(ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ” – ₹3162.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2450.86 लाख था।

(ग) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएँ” – ₹2247.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2245.36 लाख था।

(घ) “कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएँ” – ₹860.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹859.91 लाख था।

(खा) “मृदा एवं जल संरक्षण – आईसीएआर को सहायता – अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि-वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाओं सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएँ” – ₹4564.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय,

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes” - saving of ₹557.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4870.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

3.(I) The above savings were partly (₹28493.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹15140.00 lakhs under Major Head “2415” - under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R” -

(a) “Crop Science Institutes, Research & Education Schemes” - ₹14001.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12110.57 lakhs.

(b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - ₹3162.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2450.86 lakhs.

(c) “Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes” - ₹2247.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2245.36 lakhs.

(d) “Agricultural Engineering Institutes, Research & Education Schemes” - ₹860.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹859.91 lakhs.

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes including Agro-Forestry Research & Education Schemes” -

₹4563.95 लाख था।

(गा) “पशुपालन – आईसीएआर को सहायता – पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान और योजनाओं सहित अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं” – ₹3659.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3485.11 लाख था।

(II) बचत को मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गया:—

(का) “फसल कृषिकर्म – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

(i) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं” – ₹642.75 लाख का अधिक व्यय (₹5087.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के वैज्ञानिक एवं कार्यालय उपकरणों की खरीद, अनुसंधान एवं परिचालन व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं” – ₹708.30 लाख का अधिक व्यय (₹2842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के अनुसंधान एवं परिचालन व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) “सामान्य – अन्य संस्थानों को सहायता – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” – ₹28165.20 लाख (शून्य प्रावधान की तुलना में) का अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

₹4564.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4563.95 lakhs.

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes Including Dairy Research Institutes & Schemes” - ₹3659.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3485.11 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” - under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry - Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “Crop Science Institutes, Research & Education Schemes” - excess of ₹642.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5087.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of scientific and office equipment, Research and operational expenses and other administrative expenses of the institute.

(ii) “Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes” - excess of ₹708.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2842.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Research and operational expenses and other administrative expenses of the institute.

(B) “General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Imphal” - excess of ₹28165.20 lakhs (against Nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचत हुई:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “5475”	Major Head “5475”			
अन्य सामान्य आर्थिक	Capital Outlay on Other			
सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	General Economic Services			
मू.	O.	1041.00		
		957.00	338.94	-618.06
पु.	R.	-84.00		

(I) “निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय – आर्थिक सेवाएं” के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण ₹701.56 लाख की बचत (₹1029.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Under “Direction and Administration - Attached Offices - Economic Services” - saving of ₹701.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1029.00 lakhs) was due to non-finalization of proposals.